समक्ष राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

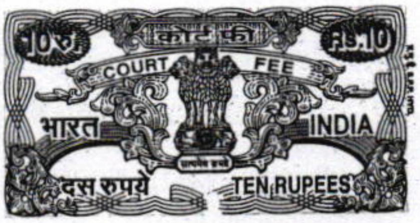

ओम प्रकाश वल्द शिवप्रसाद तिवारी निवासी धर्मकुण्डी तह0 सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .... अपीलार्थी

अपील -- 2982-PBR-16

विरूद्ध

शासन

<u>अपीलार्गत धारा 44 भू–राजस्व संहिता</u>

अपीलार्थी यह अपील माननीय अपर आयुक्त होशंगाबाद संभाग के न्यायालय के प्रकरण क्र 91/अपील/2015–16 आदेश दिनाँक– 28/04/2016 के विरूद्ध जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि एस0 डी0 ओ0 को लिखा पत्र आदेश नहीं है अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। के विरूद्ध निम्न तथ्यों एवं आधारों पर पेश है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 2982–पीबीआर / 16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–9–2016	अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28–4–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । प्रथमदृष्टया अपीलार्थी की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 44(2) के अन्तर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है और अपर आयुक्त द्वारा भी द्वितीय अपील में आदेश पारित किया गया है । म0प्र0भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 44(2) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में आदेश पारित के विरूद्ध तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान संहिता में नहीं है । इसके अतिरिक्त जहाँ तक गुणदोष का प्रश्न है अपर आयुक्त के समक्ष टी.एल. के निराकरण के लिये अनुविभागीय अधिकारी को लिखे गये पत्र के विरूद्ध उनके समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि टी.एल. के निराकरण के लिये अनुविभागीय अधिकारी को लिखा गया पत्र एक सामान्य पत्राचार है, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाना वैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष के साथ आवेदक की अपील निरस्त करने में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये यह अपील आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	